

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग (भरतपुर)

क्र.सं. 155/2018, (जी.सी.एम.एस. नं. 2018/00172)

व इजलास हेमन्त कुमार
(R.A.S)

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व० श्री कपूरचन्द जाति वैश्य नि० मेला मैदान करवा डीग जिला भरतपुर(राज.)
—वादी

उपनाम

1. रामधन }
2. राधे } पुत्रगण हरी सिंह } जातियान गूजर नि० गुहाना हाल नि० गूगी देवी के मन्दिर के पास
3. रामेश्वर पुत्र भोवल } लाला वाला कुण्डा कस्बा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर(राज०)

—असल प्रति०

4. सुरेशचन्द पुत्र कपूरचन्द जाति वैश्य निवासी माहेश्वरी मोहल्ला कस्बा डीग तहसील डीग
5. माहेंद्र कुमार पुत्र कपूरचन्द जाति वैश्य नि० ई-39 रणजीत नगर भरतपुर
6. कुसुमलता पत्नी डॉ. संतोष गुप्ता पुत्री कपूरचन्द जाति वैश्य नि० ए-214 त्रिवेणी नगर(जयपुर)
7. मंजू सिंघल पत्नी संतोष सिंघल पुत्री कपूरचन्द जाति वैश्य नि० रघुवीर नगर दिल्ली
8. कमलेश पत्नी मुकेश आर्य पुत्री कपूरचन्द जाति वैश्य नि० बी०-37 त्रिवेणी नगर(जयपुर)


—तरतीवी प्रति०

दावा बाव उदघोषणा अन्तर्गत धारा 188,183व
92ए राज० टि० एक्ट.

निर्णय


दिनांक: 19.10.2022

वादी द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 690/0.07, 691/0.09, 699/0.12, वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग में स्थित है। वादपत्र में वर्णित विवादित आराजीयात वादी एवं तरतीवी प्रति० सं० 4 लगायत 8 की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर वादी एवं तरतीवी प्रति० का वाहिस्सा बराबर कब्जा काश्त वाहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है तथा मौके पर भी वादी काबिज काश्त है। असल प्रति० का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध किसी किस्म का नहीं है,लेकिन असल प्रति० की शुरु से ही वादी व तरतीवी प्रति० की उक्त आराजी पर कब्जा नाजायज कर अबैध निर्माण करने की नीयत रही है और असल प्रति० द्वारा अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति में दिनांक 15.09.2018 को ख.नम्बर 699/0.12 की दक्षिणी मैड को तोड़कर लगभग 15 फीट अन्दर गहराई में तथा लगभग 50 फीट लम्बाई में अतिक्रमण कर निर्माण शुरू कर


उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज
डीग (भरतपुर) राज

वादी और भीव भरकर लगभग जमीन से 5 फीट उंचाई में दीवार निर्मित करदी व एक जंगला गेट निर्माण की जानकारी हुई तो वादी मौके पर पहुंचा और असल प्रति० द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जा तो असल प्रति० द्वारा अवैध निर्माण रोकने से मना क्व दिया गया। साथ ही सम्झी दी गई कि इस सम्पूर्ण आराजी पर पर कब्जा नाजायज कर निर्माण करेंगे और वादी व तरतीवी प्रति० को उक्त आराजी से बेदखल करके रहेंगे। ऐसी स्थिति में वादी असल प्रति० को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कर पाने के अधिकारी है। तरतीवी प्रति० का भी दावा में वादी के समान हित निहित है लेकिन वक्त दायरी दावा तरतीवी प्रति० उपस्थित ना होने एवं दावा अर्जेंट नेचर का होने के कारण यह खातेदारान को तरतीवी प्रति० बनाया गया है। अतः निवेदन है कि असल प्रति० द्वारा जो विवादित आ.ख.नम्बर 699/0.12. वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग में अवैध निर्माण कर कब्जा नाजायज किया है उसे असल प्रति० के खर्चे पर ध्वस्त कराया जाकर पूर्ववत स्थिति में वादी को कब्जा दिलाया जाकर जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा असल प्रति० को पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी एवं तरतीवी प्रति० की खातेदारी की आराजी पर कब्जा नाजायज नहीं करें और मजाहमत मदाखलत नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति० को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 29.10.2018 को प्रति० सं० 01 लगायत 03 की ओर से मय वकालतनामा श्री समय सिंह एडवोकेट उपस्थित आये। दिनांक 09.04.2019 को प्रति० सं० 01 लगायत 03 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। जवाब दावा में अंकित किया गया है कि वादी ने दावा महज प्रति० को तंग व परेशान करने की नीयत से गलत व मिथ्या तथ्यों के साथ सही तथ्यों को छिपाते हुए गलत शपथ पत्र के साथ पेश किया गया है, जोकि काविले खारिजी के है, वादी विरुद्ध प्रति० कोई दादरसी पाने का अधिकारी नहीं है। प्रति० राधे के जरिये रजिस्टर्ड बयनामा आराजी खसरा नम्बर 700/0.26 वाके ग्राम किशनपुर तहसील का हिस्सा 1/6 का हिस्सा 498/2600 यानि कुल रकबा का हिस्सा 83/2600 दिनांक 27.06.2014 को प्रतिफल अदा करते हुए साविक खातेदार अजय पुत्र छोटेलाल जाति माली निवासी किशनपुर तहसील डीग से आवासीय निर्माण हेतु खरीद कर मौके पर दखल व कब्जा प्राप्त किया था और वक्त खरीद सवे प्रति० उक्त खरीदशुदा भूखण्ड पर वाहैसियत मालिक काबिज है। प्रति० सिर्फ अपनी क्रयशुदा भूखण्ड पर निर्माण कर रहा है और अपने क्रयशुदा भूखण्ड पर प्रति० को कानूनन निर्माण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रति० द्वारा वादी की किसी आराजी के भाग पर कोई कब्जा कर निर्माण नहीं किया है जब वादी द्वारा प्रति० के क्रयशुदा आराजी पर निर्माण में व्यवधान पैदा करना चाहा तो


उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज

प्रति० ने स्वयं अपनी क्रयशुदा आराजी की पैमाईश हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। विवादित आराजी मौके पर आबादी क्षेत्र में है और आबादी क्षेत्र के प्रकरण की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है तथा प्रति० ने आवासीय निर्माण हेतु ही उक्त भूखण्ड खरीद किया है, इसलिए इस पर दावी हाजा आदेश 7 नियम 11 जा.दी.के प्रावधानों से वर्जित है। अतः निवेदन है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तत्पश्चात् प्रति० संख्या 4 लगायत 8 की ओर से मय वकालतनामा श्री राकेश मुदगल एडवोकेट उपस्थित आये।


दिनांक 12.07.2019 को निम्नानुसार तनकी कायम की गई:-

1. आया असल प्रति० द्वारा खसरा नम्बर 699/0.12 की दक्षिणी तरफ अतिचार कर 50 x 15 फीट लम्बाई व चौड़ाई में निर्माण कर व अपने मकान का एक जंगला व गेट वादी की तरफ निकाले है, जिसे वादी ध्वस्त कराकर पूर्ववत स्थिति कायम कराने व कब्जा वापिस प्राप्त करने का अधिकारी है?
2. आया वादी, असल प्रति० को जरिये डिक्री स्थाई निषंघाज्ञा पाबंद करा पाने का अधिकारी है?
3. आया न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है?
4. दादरसी,

साक्ष्य वादी में दिनांक 25.07.2019 को वादी राजेन्द्र प्रसाद का शपथ पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 21.11.2019 को बयान दर्ज किये जाकर शा० पत्रावली किये गये। दिनांक 21.01.2020 को साक्ष्य वादी बन्द की जाकर प्रकरण को साक्ष्य प्रति० में रखा गया। दिनांक 03.03.2020 को प्रति० राधे पुत्र हरीसिंह व रामेश्वर पुत्र भोवल गूजर के शपथ पत्र पेश किये गये जिन पर दिनांक 05.03.2021 को बयान दर्ज किये जाकर शा० पत्रावली किये गये। दिनांक 13.04.2022 को प्रति० रामेश्वर के बयान दर्ज किये गये। दिनांक 26.04.2022 को साक्ष्य प्रति० पूर्ण होने पर बन्द की गई। दिनांक 13.10.2022 को वकील पक्षकारान सुनी जाकर तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया गया।

तनकी अनुसार निर्णय निम्नानुसार है:-

1. आराजी खसरा नम्बर 699/0.12 वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग के सम्बन्ध में तहसीलदार डीग से ली गई रिपोर्ट में प्रति० का अबैध कब्जा होना बताया गया। प्रति० के स्तर से आराजी खसरा नम्बर 699 व 700 के मध्य रास्ता होने सम्बन्धी ऐसा कोई भी साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये गये तथा प्रति० के द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बयानामे में संलग्न नक्से में उत्तर दिशा


उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

ही तरफ कोई रास्ता अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार डीग की रिपोर्ट अनुसार तनकी संख्या एक को वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

2. आठ खंड नम्बर 699/0.12 वाले ग्राम किशनपुर तहसील डीग वादी एवं तराठीकी प्रति० सं० 04 लगायत 8 की कब्जे कास्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर असल प्रति० के द्वारा अवैध निर्माण किया जाना उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है ऐसी स्थिति में असल प्रति० को खरिचे स्वार्थ भिषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होने पर तनकी संख्या 2 को भी वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

3. आराजी खसरा नम्बर 699/0.12, किस्म पारानी-1, वाले ग्राम किशनपुर तहसील डीग में स्थित है। जिससे स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। अतः ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 3 खारिज की जाती है।

उक्त उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को रोड़ते हुए कहा कि वर्णित आराजीयात पर मौके पर पूर्व से ही वादीगण का ही कब्जा कास्त चला आ रहा है। वकील वादी ने सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड/कानूनी दृष्टांतों के आधार पर दावा वादी डिक्री किये जाने का अनुरोध किया गया। वकील प्रति० के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि वादी के द्वारा प्रस्तुत दावे को गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में वादी के द्वारा नकल जमाबन्दी सम्बत 2069-2072 (पी-1.) नकल बयाना मा दिनांक 27.06.2014 पेश किये गये। प्रति० संख्या-3, रामेश्वर अपने प्रस्तुत शपथ पत्र पर अपने बयान दर्ज कराये गये। जिनमें कहा है कि रामधन व राधे मेरे खास चाचा है, लाला वाले कुण्डा पर जमीन मेरे चाचा राधे ने खरीदी जो सन 2014 में खरीदी थी, खसरा नम्बर 700/0.26 हैक्टे० का 1/6 खतौदा था। यह जमीन राधे ने प्लॉट के रूप में खरीदी थी यह प्लॉट राधे ने लं० 30चौ० 30 खरीद

वादी पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया।

वकील उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, बयानात, कानूनी दृष्टांतों के आधार पर हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 188, 183 व 92-ए, राज० टि० एक्ट, व स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

(Handwritten Signature)

उप खण्ड अधिकारी

अतः आदेश है कि :-

जहाँ का बायाँ उपखण्ड राज्य के आधार पर स्वीकार किया जाता है। आख.नम्बर 899/012.कॉर्क
का विहानपुर तहसील डीग पर असल प्रतिष्ठ के द्वारा किये गये अर्केव निर्माण को हटवाने जने के
अर्थ प्रदान किये जाते है। साथ ही असल प्रतिष्ठ को जरिये दिखी स्टाई निवेदन से काबज किया
जाए है। तदानुसार पचां दिखी जारी हो।

(हस्ताक्षर)

(हेमन्त कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

डीग(भरतपुर)

जिस आज दिनांक 19.10.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(हेमन्त कुमार)

उपखण्ड अधिकारी,

डीग(भरतपुर)

उप खण्ड अधिकारी

डीग (भरतपुर) कड

